दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 07 जनवरी 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 100

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली में पांच साल में 1200 नाबालिगों ने की आत्महत्या

» सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शपथपत्र के जरिए दी जानकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी में पिछले पांच साल के दौरान 1200 नाबालिग बच्चों ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दाखिल किए शपथ पत्र में दी। शीर्ष अदालत में दाखिल शपथ पत्र में पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले पांच साल के दौरान 18 साल या उससे कम उम्र के 1294 नाबालिगों के आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा कि इस दौरान नाबालिगों की आत्महत्या का एक भी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह शपथ पत्र एडवोकेट गौरव कुमार बंसल की याचिका के जवाब में दिया था। याचिका में शीर्ष अदालत से देश में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने वाले एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई थी। इसके लिए याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों कॉल सेंटरों और हेल्पलाइंस के जरिये आत्महत्या की सोच रखने वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सलाह देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश देने की गुहार शीर्ष अदालत से लगाई है। शीर्ष अदालत ने 2 अगस्त, 2019 को इस याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने को कहा था। अब इस पर 24 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर सुनवाई करेगी। इस जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में वर्ष 2014 में 188, 2015 में 211, 2016 में 227, 2017 में 242, 2018 में 277 और वर्ष 2019 में 149 बच्चों ने आत्महत्या की है।

अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 5 की मौत

गाजियाबाद (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी. सभी घायलों को गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि हादसे में मृत और घायल मजदूर के तौर पर काम करते थे. घटना मुरादनगर इलाके के नेशनल हाइवे- 58 की है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. वहीं दो लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. मृतक साहिबाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि सभी मजदूरी कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया. मौत की सूचना मिलने पर मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.

कमाठीपुरा इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के कमाठीपुरा (नागपाड़ा) की एक इमारत में आग लगने की खबर है। इस घटना में पांच लोग झुलस गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहर के भीड़भाड़ वाले कामठीपुरा के नागपाड़ा इलाके में सोमवार सुबह एक पुरानी इमारत में आग लग गई। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इमारत से निकलने वाला धुंआ काफी दूर से देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार, चाइना बिल्डिंग में लेवल 2 की यह आग सुबह 9.44 मिनट पर रिपोर्ट हुई है। आरएस निमकर मार्ग पर स्थित इस इमारत पहुंचने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर दमकल के 4 फायर इंजन, 3 जेट, एक फायर टैंकर और एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया 2 हफ्ते का समय

» वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम बनाने पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। नाबालिग रेप अपराधों पर त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कई राज्यों के हाई कोर्ट को 2 और हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है जिसमें उसे वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम (असुरक्षित महसूस करने वाले चश्मदीदों के लिए खास तौर पर बनाये गये कोर्ट रूम) के गठन को लेकर अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए हर जिले में अभी तक वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम बनाए नहीं जा सके हैं। 2018 में महाराष्ट्र में एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्यों को निर्देश दिया था कि हर जिले में वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम का गठन किया जाए, और इस संबंध पिछले साल 2019 में 4 अक्टूबर को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इस संबंध में कई राज्यों के हाई कोर्ट की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने देश में बढ़ते बाल यौन शोषण और अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर जिले में वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट को 2 अतिरिक्त हफ्ते का समय दिया है जिसमें उसे संबंधित राज्यों की रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम गठित किए गए हैं या नहीं।

दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, पंजाब-हरियाणा, राजस्थान और मणिपुर राज्यों के हाई कोर्ट ने अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि यहां पर स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है या नहीं। वहीं स्पेशल कोर्ट में काउंसलर्स के अलावा जजों और वकीलों के प्रशिक्षण को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं, के बारे में भी नहीं बताया गया है।

तमिलनाडु में स्पेशल कोर्ट की समयसीमा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तमिलनाडु में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (च्वबेव) एक्ट ऑफ2012 के तहत ऐसे अपराधों की विशेष सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए 30 जनवरी, 2020 की समयसीमा तय की थी। वहीं कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि उन न्यायिक जिलों में जहां पर 100 से 300 के बीच लंबित पॉक्सो मामले हैं वहां पर 1 स्पेशल कोर्ट और जिन न्यायिक कोर्ट में 300 से अधिक लंबित मामले हैं वहां दो स्पेशल कोर्ट गठित किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम को सही ठहराया

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र आयोग गठित करने से संबंधित पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की कानूनी वैधता को सोमवार को सही ठहराया।

नयायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों की फंडिंग करने वाली सरकारों को न केवल भर्तियों के लिए अनुशंसा करने का अधिकार होगा, बल्कि नियुक्ति का अधिकार भी होगा।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने मदरसा सेवा कानून 2008 को संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था। आयोग के जरिये नियुक्त हुए शिक्षकों और राज्य सरकार ने फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत ने इस कानून को वैध ठहराया है। पश्चिम बंगाल में मदरसा सेवा आयोग कानून 2008 को वैध ठहराए जाने के बाद अब राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिये ही होगी। मदरसा संचालकों ने विरोध करते हुए कहा था कि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन अधिकार का हनन करता है। गौरतलब है कि अधिनियम की धारा 8 कहती है कि चिकसी भी दूसरे प्रभावी कानून या अनुबंध, रिवाज या परंपरा में निहित किसी भी चीज के बावजूद आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति का चयन एवं उसकी सिफारिश करे। इस प्रावधान के मुताबिक, हालांकि, सरकारों ने अब तक अपने स्तर से भर्तियां नहीं की है।

आजाद भारत में पहली बार विकास दर के मुकाबले नहीं बढ़ी महंगाईः राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां रामलीला मैदान में सोमवार से शुरू हुए व्यापारियों के सबसे बड़े सम्मेलन में आश्वासन दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार होगा। उन्होंने सरकार के बचाव में यह सफाई भी दी कि दुनिया के कई विकसित देशों के मुकाबले भारत वैश्विक आर्थिक मंदी से कम प्रभावित है, साथ ही उन्होंने दावा किया कि आजाद भारत में पहली बार विकास दर के मुकाबले महंगाई दर को मोदी सरकार ने बढ़ने नहीं दिया।

राजनाथ ने कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी महाअधिवेशन का उद्घाटन करते हुए व्यापारियों को देशभक्त बताया और कहा कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार संदा है। उन्होंने कहा कि एसटी को लेकर जो भी कठिनाई व्यापारियों के सामने आ रही है, उसे सरकार दूर कर रही है। राजनाथ ने व्यापारियों के इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ष्जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है तो कुछ लोग यह कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ग्रोथ रेट कम हुआ है। लेकिन भारत ही नहीं दुनिया के कई विकसित देश इस वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हैं। सच तो यह है कि दुनिया के विकसित देश हमारे मुकाबले ज्यादा इस मंदी से प्रभावित हैं।

कांग्रेस ने की जेएनयू में हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हमला करने वालों को संरक्षण देने का सोमवार को आरोप लगाया और कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी और अमित शाह ने छात्रों पर दमन चक्र चलाकर ना शासन की याद 90 साल बाद दिला दी। जिस तरह से छात्रों, छात्राओं और शिक्षकों पर हमला किया गया और जिस प्रकार पुलिस मूकदर्शक बनी रही, वह दिखाता है कि देश में प्रजातंत्र का शासन नहीं

बचा है। उन्होंने कहा कि युवा प्रजातंत्र और संविधान पर हमले के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाई जाती है। जान लीजिए मोदी, युवाओं की आवाज नहीं दबने वाली है। सरकार प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है।

सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह की सरकार के रूप में ना शासन आ गया है। इन गुंडों का ताल्लुक भाजपा और एबीवीपी से था। यह सब कुलपति की मूक सहमति से हो रहा था। यब सब अमित शाह के मौन समर्थन से हुआ। उन्होंने कहा, हम मोदी , अमित शाह , भाजपा और एबीवीपी की कड़ी निंदा करते है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। अमित शाह , आपकी किसी जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस गुंडागर्दी को आपका संरक्षण हासिल था। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि न्यायिक जांच हो। उच्चतम न्यायालय अथवा दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायधीश से जांच कराई जाए। इसी से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और जेएनयू प्रशासन की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

दिग्विजय ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्राओं के होस्टल में रात को घुस कर एबीवीपी के गुंडों द्वारा जो मारपीट की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, आदर्श आचार संहिता लागू

» 8 फरवरी को मतदान के बाद 11 फरवरी को आएंगे चुनाव नतीजे

नई दिल्ली (आरएनएस)। आखिर भारत चुनाव आयोग ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनावों का ऐलान कर दिया है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार आठ फरवरी को मतदान होगा, जबकि 11 फरवरी को मतगणना के बाद चुनावी परिणाम घोषित किये जाएंगे। चुनावों का ऐलान होते ही दिल्ली में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील आरोड़ा ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा एक चरण में 8 फरवरी को कराया जाएगा। जबकि 11 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। इन चुनावों के ऐलान के बाद दिल्ली में तत्काल प्रभव से अदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अरोडा ने बताया कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त होगा। 14 जनवरी को

अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होगी और 24 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील आरोड़ा ने कहा कि चुनाव व्यवस्था में 90 हजार कर्मचारी लगाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दिल्ली चुनाव के लिए मीडिया मॉनिटरिंग टीमें गठित की जाएगी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पारदर्शी चुनावों के सफल आयोजन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसलिए चुनाव आयोग श्चुनाव आचार संहिताश् लागू करता है जिसका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। इस दौरान राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और आम जनता को सख्त नियमों का पालन करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।

1.46 मतदाता करेंगे वोटिंग- दिल्ली के लिए सोमवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 1.46 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

कोहरे और ठंड ने रोकी दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनों की रफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोहरे और ठंड की मार से आज दिल्ली आ रही 18 ट्रेनें लेट हैं। ये ट्रेनें 1 से साढ़े पांच घंटे तक लेट हैं। रेलवे के मुताबिक, आनंद विहार एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, मालदा नई दिल्ली-फरक्का एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4 घंटे, छिंदवाड़ा-नई दिल्ली एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे यशवन्त पुर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस तीन घंटे, रीवा आंनद विहार एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे और गया-नई दिल्ली

महाबोधि एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट से दिल्ली आ रही हैं। रेलवे के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि फिलहाल कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती रह सकती है।

हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने से पहले अलग किए 2 प्लग की न्यू यॉर्क में नीलामी

न्यू यॉर्क। हिरोशिमा में तबाही मचानेवाले परमाणु बम के प्लग हटा दिए गए और इसे 76,000 यूरो में नीलाम किया गया है। मेल ऑनलाइन में छपी खबर के अनुसार, विश्व में पहली बार हुए परमाणु हमले से पहले इन दोनों पल्ग को बम से अलग किया गया था। 4.4 टन के परमाणु बम को दो ग्रीन और रेड कलर के सेफ्टी प्लग से अलगकर निकाला गया था और बम हिरोशिमा पर गिराए गए।

हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले में 140,000 लोग मारे गए थे और बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी। इस हमले के बाद पूरा शहर ही मलबे में ढेर हो गया था। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु हमले के साथ ही जापान ने समर्पण कर दिया और एक तरह से यह दूसरे विश्व युद्ध की निर्णायक समाप्ति का ऐलान था।

तीन इंच के प्लग को मेटल और लकड़ी से बनाया गया था और इसे लेफ्टिनेंट मॉरिस जेप्पसन के शोवेनियर के तौर पर रखा गया था। न्यू यॉर्क के बोनहाम्स हाउस में दोनों प्लग की नीलामी के लिए बोली लगी थी। इसकी नीलामी लेफ्टिनेंट जेप्सन के दोस्त एडवर्ड डॉल ने की। उन्हें लेफ्टिनेंट ने तोहफे के तौर पर यह प्लग दिया था। नीलामी हाउस के प्रवक्ता ने कहा, नीलामी में ग्रीन सेफ्टी प्लग और रेड आर्मिल प्लग पहले परमाणु बम (लिटिल बॉय) की बोली लगाई गई।

बजट पूर्व सिफारिशों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रो-रेटिंग एसटी का सुझाव

» आम बजट 2020

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार आगामी एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2020-21 को पेश करने की तैयारी कर रही है, प्रमुख हेल्थकेयर उद्योग निकाय नैटहेल्थ ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में, टियर-प्प् और प्प्प् शहरों में निर्माण क्षमता का आह्वान किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा बढ़ती मांगों को पूरा किया जाएगा।

कराधान के मुद्दों पर, इस प्रमुख स्वास्थ्य सेवा उद्योग निकाय

ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एसटी) पर दो विकल्पों की सिफारिश की है। सबसे पहले, नैटहेल्थ ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रो-रेटिंग एसटी का सुझाव दिया। नैटहेल्थ ने पिक्की के साथ एक संयुक्त ज्ञापन में नैटहेल्थ के अध्यक्ष ने डॉ. सुदर्शन बल्लाल कहा कि हेल्थकेयर इनपुट सेवाओं के लिए एसटी के युक्तिकरण से खास इनपुट क्रेडिट को अनलॉक होगा और नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल और नैदानिक केंद्रों सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए लागत में कमी आएगी। यह बचत उपभोक्ताओं के काम आएगी और देखभाल की लागत कम होगी। चूंकि एसटी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर देय नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता इसके द्वारा भुगतान किए गए इनपुट करों पर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं, जो अंततः सेवा प्रदाता के लिए लागत बन जाता है। वर्तमान एसटी व्यवस्था के तहत, अस्पतालों द्वारा उपभोग किए जाने वाले इनपुट (माल और सेवाओं) पर संशोधित कर दरों का कुल प्रभाव बढ़ गया है। जैसा कि इस बढ़ी हुई लागत को अंततः रोगी वहन करते हैं, यह किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सरकार के इरादे को हरा देती है। उन्होंने कहा कि सरकार को मौजूदा और नई दोनों परियोजनाओं के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।